राजस्थानसरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बून्दी

क्रमांक :—रसद / एफपीएस / 25 /   दिनांक :—हस्ताक्षरित

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले मे 15 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

इस हेतु विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक एफ17(1)खावि / विधि / 08 दिनांक 17.03.2016 एवं क्रमांक एफ17(05)खावि / न्याय / महि.आर. / 2019 दिनांक 25.11.2020 के अन्तर्गत जिला रसद कार्यालय बून्दी से सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 से प्राप्त किये जाकर जमा करवाने की अंतिम तिथि 07.07.2025 (सायं 06.00 बजे तक) तक निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

बून्दी जिले में नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क. सं.	विधानसभा क्षेत्र	तहसील	ग्राम पंचायत	नवसृजित	महिला आरक्षित / अनारक्षित
1	के.पाटन	के.पाटन	ग्राम पंचायत चरडाना	नवसृजित	*महिला आरक्षित*
2	के.पाटन	के.पाटन	ग्राम पंचायत आजन्दा (वितरण केन्द्र कोड़क्या)	नवसृजित	अनारक्षित
3	के.पाटन	के.पाटन	ग्राम पंचायत जलोदा	नवसृजित	*महिला आरक्षित*
4	के.पाटन	के.पाटन	ग्राम पंचायत अरनेठा	नवसृजित	अनारक्षित
5	के.पाटन	के.पाटन	ग्राम पंचायत झालीजी का बराना	नवसृजित	अनारक्षित
6	हिण्डोली	हिण्डोली	ग्राम पंचायत भवानीपुरा, (वितरण केन्द्र रेण)	नवसृजित	अनारक्षित
7	हिण्डोली	हिण्डोली	ग्राम पंचायत सहसपुरिया, (वितरण केन्द्र सिंघाड़ी)	नवसृजित	अनारक्षित
8	हिण्डोली	हिण्डोली	ग्राम पंचायत दबलाना, (वितरण केन्द्र लोधा की झौपड़ियॉ)	नवसृजित	अनारक्षित
9	हिण्डोली	हिण्डोली	ग्राम पंचायत रानीपुरा,	नवसृजित	अनारक्षित
10	हिण्डोली	हिण्डोली	ग्राम पंचायत बड़ौदिया	नवसृजित	*महिला आरक्षित*
11	बून्दी	बून्दी	ग्राम पंचायत भैरूपुरा ओझा (वितरण केन्द्र अखेड़)	नवसृजित	अनारक्षित
12	बून्दी	रायथल	ग्राम पंचायत रायथल	नवसृजित	*महिला आरक्षित*
13	बून्दी	रायथल	ग्राम पंचायत खटकड़	नवसृजित	*महिला आरक्षित*
14	बून्दी	तालेड़ा	ग्राम पंचायत सूतड़ा (वितरण केन्द्र कॅवरपुरा)	नवसृजित	अनारक्षित
15	बून्दी	तालेड़ा	ग्राम पंचायत डाबी (वितरण केन्द्र थड़ी)	नवसृजित	अनारक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.15 18:17:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15924004

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.3.2016 एंव क्रमांक एफ17(05)खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों मे वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। परिपत्रों एवं दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा–निर्देशों तथा नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.inव कार्यालय जिला रसद अधिकारी,बूंदी में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

आवेदक की योग्यताऍ एवं शर्तेः–

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवलकार्यालय जिला रसद अधिकारी बून्दी से जारी किये जायेंगे, अन्य किसी स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित है। जो जिला रसद अधिकारी, बून्दी के नाम से आवेदन पत्र प्राप्त करने से पूर्व ई–चालान के जरिये 1475–00–800–04–01 मद मे जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्त्ताओं की पात्रतायें निम्नानुसार होगी :–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदनकर्त्ता उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की आधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान विज्ञापित है।
2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
4. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 ज[illegible]5 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित ति[illegible] पश्चा[illegible] दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित [illegible] दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है, तो ऐसे उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.15 18:17:33 IST
Reason: Approved

मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती हैं, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जायेगा।

6. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
7. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा –
    - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
    - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
    - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
    - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– होना आवश्यक है।
9. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आकलन के निम्न आधार होंगे।
    - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
    - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
    - समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।
10. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देदशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, मान्य होंगी। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा।जिन ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया हैं, वह आवेदन हेतु पात्र नही होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.15 18:17:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15924004

12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनांए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
13. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी किसी भी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।
14. उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति, विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्याधीन होगा।
15. उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर (रसद)
बून्दी

क्रमांक :—रसद/एफपीएस/2025/ दिनांकः— हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी बून्दी/तालेडा/हिण्डोली/के.पाटन/लाखेरी।
3. एस.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.inपर अपलोड करें।
4. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को बून्दी के स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय हाजा।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर बून्दी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.15 18:17:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15924004